राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1162/2009/कोटा.

मैसर्स जे. के. सीमेन्ट लिमिटेड, जेकेनगर, कोटा. ....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–ए, कोटा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर कोटा. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08/03/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 39/सीएसटी/2007–08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.06.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–अ, कोटा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 27.09.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह है कि अपीलार्थी फर्म द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(72)एफडी/ग्रुप–VI/81–18 दिनांक 06.05.1986 के तहत कर की आंशिक छूट का लाभ लेने का क्लेम पेश किया गया था परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के क्लेम को इस आधार पर अस्वीकार किया गया कि अपीलार्थी फर्म राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(1) एफडी/टैक्स डिवी./99–266 दिनांक 21.01.2000 का भी लाभ प्राप्त किया गया था एवं दिनांक 21.01.2000 की अधिसूचना की शर्त संख्या 3 में यह शर्त थी कि इस अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले व्यवहारी दिनांक 06.05.1986 की अधिसूचना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।

3. कर निर्धारण आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जाने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा इस विवादित बिन्दु पर कोई निर्णय नहीं किया गया क्योंकि अपीलार्थी की इसी बिन्दु पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका लम्बित थी एवं माननीय न्यायालय का स्थगन भी प्रभावी था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **एस.बी.सिविल सेल्स टैक्स रिवीजन नं0 613/2005 लक्ष्मी सीमेंट (वर्तमान में जे.के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड) बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी में पारित निर्णय दिनांक 17.04.2009** में अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय

लगातार................2

8/3/2017

08/03/17

पारित करते हुए 06.05.1986 की अधिसूचना का लाभ नहीं दिये जाने का निर्णय किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा **अपील संख्या 622/2010/अजमेर मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर में दिये गये निर्णय दिनांक 07.10.2016** में भी इसी बिन्दु पर एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर वर्णित आदेश को सन्दर्भित करते हुए यह निर्णीत किया गया है कि अधिसूचना दिनांक 06.05.1986 के तहत कर की आंशिक छूट उन व्यवहारियों को प्राप्त नहीं होगी जो अधिसूचना दिनांक 21.01.2000 का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उक्तानुसार विधिक विवाद का यह बिन्दु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जा चुका है।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अपील पर कोई बल नहीं दिया है।

5. उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्थान कर बोर्ड के इसी बिन्दु पर किये गये निर्णय के फलस्वरूप खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है।

6. निर्णय सुनाया गया।

8/3/2017
(के. एल.जैन)
सदस्य

08/03/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य